



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35865

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2401 वर्ष 2026

रघुनंदन उपाध्याय एवं 8 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्तागण की ओर से अधिवक्ता : अखिलानन्द मिश्र, अमित कुमार, रेनू रजत

उर्फ रेनू सहाय

प्रत्यर्थागण की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलानन्द मिश्र तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्तागण का कथन है कि नियुक्ति से पूर्व प्रशिक्षण के दौरान व्यतीत की गई सेवा अवधि को, जिसे उन्होंने कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति प्राप्त करने से पूर्व पूर्ण किया, उनकी कुल सेवा अवधि में सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा उसे 19 वर्ष की सेवा मानते हुए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जानी चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने **विशेष अपील संख्या 172 वर्ष 2023 (उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य बनाम रामजीत तिवारी (हेड कांस्टेबल) एवं 6 अन्य)**, निर्णय दिनांक 19.04.2023, पर निर्भरता व्यक्त की है।
3. वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थागण को याचिकाकर्तागण के अभ्यावेदन पर विचार करने हेतु निर्देशित किया जाए।
4. राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्तागण का दावा प्रथम दृष्टया संबंधित प्राधिकारी द्वारा विचारणीय है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. उक्त निवेदन पर याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई तथा उन्होंने सहमति प्रदान की।
6. पक्षकारों के तर्कों एवं उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस स्वतंत्रता के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्तागण, इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ-साथ रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए, संबंधित प्राधिकारी के समक्ष एक सम्यक अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, जिस पर संबंधित प्राधिकारी विधि के अनुसार चार माह की अवधि के भीतर निर्णय करेगा।
7. यह उल्लेखनीय है कि रिट याचिका का निस्तारण प्रत्यर्थीगण से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त किए बिना किया गया है, अतः इस आदेश को प्रकरण के गुण-दोष पर न्यायालय द्वारा कोई अभिमत व्यक्त किया जाना नहीं माना जाएगा।
8. उपर्युक्त अवलोकनों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

दिनांक: 18 फरवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”